an>

Title: Issue regarding renewal of passports.

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): मैडम, यह मसला बहुत महत्वपूर्ण है । इसको उठाने के लिए आपने मुझे इजाजत दी है । यह मसला केवल एक स्टेट का नहीं है, बल्कि यह सारे देश का मसला है । हमारे जो लोग दूसरे देशों में काम करने के लिए जाते हैं, चाहे वे वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, चाहे किसी भी काम के लिए जाते हैं, वे किसी भी एच1(बी) वीजा या किसी भी वर्क वीजा पर जाते हैं, जब वे दूसरे देशों में जाते हैं और वहाँ उनको पासपोर्ट रिन्यू करने की जरुरत पड़ती है तो उस टाइम हमारे देश की जो ऐम्बेसी है, जहाँ हाई कमीशन है, उसमें जाते हैं और वहाँ जाकर अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाते हैं । वहाँ जब उनके पढ़ने और काम करने का टेन्योर खत्म हो जाता है तो वे वापस देश में आते हैं । अपने देश में आने के बाद फिर से अगर उनका पासपोर्ट रिन्यू होना होता है तो वो आरपीओ में जाते हैं । जहाँ उनका रेसीडेंस रहता है, वहाँ वे आरपीओ में जाकर अपना पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए देते हैं ।

मैडम, विडंबना यह है कि अब उनकी तंगी शुरू हो जाती है । जब भी वे यहाँ पर रिन्यू करने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, हमारा जो आरपीओ है, वह एक मेल करता है, जिस ऐम्बेसी से पहले उसका पासपोर्ट देश की ऐम्बेसी में रिन्यू हुआ था । एक मेल, दो मेल, तीन मेल, यह सिलसिला साल नहीं, दो साल नहीं, कई बार तीन-तीन, चार-चार साल भी चलता है, मगर ऐम्बेसी से कोई वापस जवाब नहीं आता है । इससे क्या होता है कि वह चार-चार, पाँच-पाँच साल तक हवा में लटका रहता है । आपके माध्यम से हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर से मेरी गुजारिश है कि इसे टाइम बाउण्ड किया जाए । जब भी किसी पासपोर्ट के रिन्युअल के बारे में आरपीओ से मेल जाती है तो चाहे उनको तीन महीने में जवाब देना हो, दो महीने में जवाब देना हो, अगर उनका जवाब नहीं आता है तो तीन महीने वेट करने के बाद आटोमेटिकली उस पासपोर्ट को रिन्यू कर दिया जाए ।

13.00hrs